

समाहरणालय, चतरा ।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक.....2562...../रा0

दिनांक.....16.09.21.....

प्रेषक,

उपायुक्त,
चतरा ।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
NTPC, लिमिटेड, टण्डवा ।

विषय:— वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उत्तरी करणपुरा सुपर ताप विद्युत निगम लिमिटेड, टण्डवा को गरही जलाशय की भूमि लीज हस्तानांतरण के निमित्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रेषण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उत्तरी करणपुरा सुपर ताप विद्युत निगम लिमिटेड, टण्डवा को गरही जलाशय की भूमि लीज हस्तानांतरण के निमित्त वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत Form-II इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है ।

अनुलग्नक:—यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

उपायुक्त,
चतरा ।

सुहेल खलीक खान / SUHAIL KHALIQ KHAN
उप महाप्रबंधक (सिविल) / DGM (CCD)
एन.के.एस.टी.पी.सी. / NTPC LIMITED
टण्डवा / Tandwa

FORM-II
(For projects other than linear projects)
Government of Jharkhand
Office of the District Collector, Chatra

No. 2563

Dated. 16.09.21

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **25.31 acre** of forest land proposed to be diverted in favour of **North karanpura super Thermal Power Project Tandwa for Lease Transfer of Garhi Reservoir's land in Chatra district** falls within jurisdiction of **Raham & Naiparam Villages in Tandwa tehsil.**

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **25.31 acre** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Raham & Naiparam villages in Tandwa tehsil** is enclosed as annexure I.
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encls.: As above.

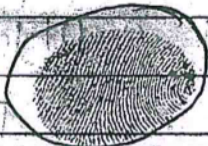
16/9/21
Anjali Yadav
Deputy Commissioner,
Chatra


सुहैल खलीक़ खान / SUHAIL KHALIQ KHAN
उप महाप्रबन्धक (सिविल) / DGM (CCD)
एन.के.एस.टी.पो.पी. / NTPC LIMITED
राण्डवा / Tandwa

आज दिनांक 15/09/2021 को ग्राम
 नई पारम के उत्कृष्ट मध्यम विद्यालय में एक
 अंचल अधिवक्ता, इण्डिया के पत्रांक
 921 दिनांक 11/09/2021 के आदेशानुसार
 जलधाय एवं राख डाइक परियोजना
 निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम
 2006 के तहत जंगल काड़ी भूमि
 दस्तावेज अनापत्ति प्रमाण पत्र के
 लिए श्री शिवनारायण महतो की अध्यक्षता
 में एक ग्राम सभा की गई।
 जिसमें निम्नलिखित ग्रामीण उपस्थित
 हुए। ग्राम नई पारम के खान
 नम्बर 134 प्लॉट नम्बर 1302(II)
 एक वा 11 एकड़ और भण्डारा खान
 जंगल काड़ी भूमि पूर्व में ही
 NTPC की दस्तानदार है।
 उपस्थित ग्रामीण जनता

- | | | |
|---|-----------------|---------------------|
| ① | शोकरधन महतो | शिवनारायण महतो |
| ② | बालकृष्ण महतो | अध्यक्ष का दस्तावेज |
| ③ | इश्वर महतो | वर्तमान |
| ④ | प्रियामणि महतो | उत्तर-प्रधान |
| ⑤ | मुकेश कुमार | |
| ⑥ | Vidash K. Yadav | |

सुहायिनी / SUHAIL KHALI KHAN
 (सिक्कि) / DGM (CCD)
 NTPC / NTPC (CCD)
 NTPC / NTPC (CCD)

- | | |
|----|---|
| 7 | राजेश महतो |
| 8 | देवना रायण महतो |
| 9 | निरञ्ज जीप |
| 10 | नेकनाल महतो |
| 11 | देवधन महतो |
| 12 | हिकेश्वर महतो |
| 13 | सोमेश महतो |
| 14 | अखिल महतो |
| 15 |  रामधनी महतो |
| 16 |  रघुनाथ महतो |
| 17 |  हिकु महतो |
| 18 |  सुधु जीप |
| 19 | कुमार महतो |
| 20 | लोकन महतो |
- 21 T.K. PATRA

2

T. K. PÄTRA

Handwritten signature: *Handwritten signature*

[Handwritten signature]

Editor HEC

Jirdhan Mahato.

21/05/19

21/05/19

✓

SUHAIL KHAN IQ KHAN
(Secretary) / DGM (CSD)
NTPC LIMITED
ANKSTPP

प्रस्ताव :- सर्वसम्मति से निर्णय
 लिया गया कि ग्राम नईपरम
 के खाना सं. - 134, प्लॉट सं. -
 1302, रकबा 11 एकड़ गौरमजबूत
 खास जंगल झाड़ी भूमी जो NTPC
 की राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरित
 है, में ग्राम सभा सर्वसम्मति से
 निर्णय लिया गया कि हमलों
 की कोई आपत्ति दावा नहीं है।
 NTPC की NOC निगति किया
 जा सकता है।
 अतः में सखन्यावाद ग्राम
 सभा के कार्यवाही समाप्त की
 गई।

~~समाप्त~~
 समाप्त

राजवर्कगारी
 देवकुमार शिवदास

शिवगारापप महतो

वार्ड सदस्य

ग्राम - लईपाटा

सुहेल खलीक यादव / SUHEIL KHALIQ KHAN
 ग्राम महाजबूत (निवृत्त) / DGM (CCD)
 एन.टी.पी.सी. लिमिटेड / NTPC LIMITED
 एन.टी.पी.सी. लि. / NCTPP
 टांडवा / Tandwa

भाज दिनांक 13.09.2021 को ग्राम शासन, पंचायत
सचिवालय भवन में अंजल अधिकारी, राठवा के पड़ोस
वश दिनांक 11.09.2021 के आदेशानुसार जमाश्व एवं शख
इच्छुक परिवारों का निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम
2006 के तहत जंगल भाड़ी भूमि हस्तांतरण, आवास
पत्र के लिए ही अक्षयवट पाण्डेय, मुखिया, शा
के अध्यक्षता में एक ग्राम सभा की गई जिससे
निम्न व्यक्ति/व्यक्तियों उपस्थित हुए:-

उपस्थित व्यक्ती

① अक्षयवट पाण्डेय -

② प्रदीप शर्मा पाण्डेय

③ परमानंद पाण्डेय

④ विनय कुमार पाण्डेय

⑤ देवनाथ शर्मा सिंह

⑥ गणेश सिंह

⑦ राजमन सिंह

⑧ कामेश्वर सिंह

⑨ महमूद मुस्लिम

⑩ मोती चंद

⑪ सुनील पाण्डेय

अक्षय
मुखिया

ग्राम पंचायत-राठवा
प्रखण्ड-राठवा, जिला-चतरा

सुहाग खलीक खान / SUHAAG KHALIK KHAN
ग्राम सचिव/सचिव / NTPC LIMITED
एन.के.एस.टी.सी.सी. / NKSTPP
राठवा / Tandwa

(10) ना गेश्वर चांदव

(11) प्रेम उग्र

(12) मुनेश्वर राना

(13) न. पदका मुईपा

(14) न. देवग मुईपा

(15) न. चवुकीला मुईपा

(16) न. सोहराड मुईपा

(17) न. सोहराड मुईपा

(18) मो. आशीक

(19) मो. इस्माईल

(20) अश्वीन कुमार पांडेय

(21) अनिल पांडेय

(22) न. पदका मुईपा

(23) न. लगन मुईपा

पुहेल खलीखान / SUMAIL KHALI KHAN
अ. महाप्रबन्धक (सिविल) / DEM (CCD)
एनटीपीसी लिमिटेड / NTPC LIMITED
एन.के.एस.टी.पी.सी. / NKSTPP
टांडवा / Tandwa

(20) जलियोर पाठ्य

(21) निराला पाठ्य

(22) इन्द्रिय पाठ्य

(23) प्रकाश पाठ्य

(24) सुधा म सुधा

(25) राम जल पाठ्य

(26) निराला पाठ्य

शाला पाठ्य

(27) मलय पाठ्य

(28) इन्द्रिय पाठ्य

मलय पाठ्य

(29) इन्द्रिय पाठ्य

(30) राजा पाठ्य

(31) राजमणी सिंह

(32) इन्द्रिय पाठ्य

(33) शंकर पाठ्य

(34) प्रतीमा देवी

(35) सुधा पाठ्य

सुधा पाठ्य / SUHAU DGM
शंकर पाठ्य / SHANKAR DGM
प्रतीमा देवी / PRATIMA DEVI
सुधा पाठ्य / SUHAU DGM

(10) ਕਾਨਗੇ ਦੇ ਸਿਰ

(11)

(12) ਦੇਵ ਆਦਿ ਆਦਿ ਰਿਸ਼

(13)

ਸਾਧਨਾਂ ਪਾਠਕ

(14)

ਨਿਓ ਮੰਜਰੀ ਦੇਵੀ

(15)

ਸੁਨਿਹਾ ਪਾਠਕ

(16)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਠਕ

(17)

ਵਿਸ਼ਾਯ ਪਾਠਕ

(18)

ਨਿਓ ਰੁਪਨਾ ਮੁਰਮ

(19)

ਨਿਓ ਰੁਪਨਾ ਮੁਰਮ

(20)

ਨਿਓ ਲੀਕਰਾ ਮੁਰਮ

(21)

(22)

ਨਿਓ ਰੋਹਿਤਾ ਮੁਰਮ

(23)

ਨਿਓ - ਲਾਲੀਤਾ ਮੁਰਮ

(24)

ਨਿਓ ਰੁਪਨਾ ਮੁਰਮ

ਸੁਨਿਹਾ ਪਾਠਕ / SUHA
(ਸਿਲਾਈ ਡਾਕ)
ਨਿਓ ਰੁਪਨਾ ਮੁਰਮ

(55)

जि मनीषा गुप्ता

(56)

जि रचना गुप्ता

(57) Beijut Pandey(58) अमल बिहारी पांडे(59) Lokesh Kumar Pandey

प्रमाण - सर्व समिति से निर्वाचन लिखा गया कि ग्राम
 राहम के खता सं 78 ब्लॉक सं 661, 663, 665, 668, 6
 683, 684, 685, 686, 689, 662, कुल रकबा 14.31 एड.
 और मजदूरी खास जंगल-भाड़ी समिति जो एन.टी.पी.सी.
 राज्य डाटा हस्ताक्षर है, मैं ग्राम समा सर्व समिति
 निर्वाचन लिखा गया कि हल्लोगों को कोई आपत्ति
 दावा नहीं है। एन.टी.पी.सी. को एन.टी.ओ.
 निर्वाचन लिखा जा सकता है।

अंत में सख्त्यावद ग्राम समा की कार्यवाही समाप्त
 की गई।

निर्वाचन
 राजवट्टा
 राजवट्टा

निर्वाचन
 राजवट्टा
 राजवट्टा

निर्वाचन
 राजवट्टा

निर्वाचन
 राजवट्टा
 राजवट्टा

समाहरणालय, चतरा।
(राजस्व शाखा)

पत्रांक 1536/रा0

दिनांक 15.12.18.....

प्रेषक,

उपायुक्त,
चतरा।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
उत्तरी कर्णपुरा सुपर ताप विद्युत निगम,
टण्डवा।

विषय:— चतरा जिला के अंतर्गत प्रखंड टण्डवा के ग्राम—राहम एवं नईपारम में
गरही जलाशय निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक चतरा जिला के अंतर्गत प्रखंड टण्डवा के ग्राम—राहम एवं
नईपारम में गरही जलाशय निर्माण हेतु विहित प्रपत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ
संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

अनुलग्नक:— यथोक्त।

विश्वनाथभाजत,


उपायुक्त,
चतरा।

समाहरणालय, चतरा ।

(राजस्व शाखा)

सं० 1535.....

दिनांक 15.12.18

प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-5/स0भू0 लातेहार-1/2010 1817/रा0 सँची दिनांक-30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/कम्पनियों/प्रतिष्ठानों/उद्यमों/एजेन्सियों/निगमों/बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद आलोक में गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला-चतरा, अंचल-टण्डवा के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:-

क्र०	अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	कुल रकबा (ए० में)	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	टण्डवा	राहम	62	78	661	0.05	गैरमजरुआ खास जंगल—झाड़ी
					663	0.13	
					665	0.80	
					668 P	0.65	
					681	0.20	
					683	0.01	
					684	0.02	
					685	0.08	
					686	0.15	
					659	8.82	
					662	3.40	
					कुल:—	14.31	
2	टण्डवा	नईपारम	56	134	1302 P	11.00	
					कुल:—	25.31	

उपरोक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है, उत्तरी कर्णपुरा सुपर ताप विद्युत निगम, टण्डवा को गरही जलाशय निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि:-

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय।
- पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरुआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।
- गैर मजरुआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।


उपायुक्त,
चतरा।